सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 28 फाल्गुन, 1934 (श0) / 19 मार्च, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) शिक्षा विभाग	..	..	02
		कुल योग ..	02

कार्रवाई करना

'क'–31. डॉ० अच्युतानन्द––दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 के अंक में छपी खबर "उत्तर पुस्तिका की छपाई में घोटाला" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा (उ०शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई में गलत तरीके से 43 लाख रुपये का अधिक भुगतान प्रेस को इंटरमीडिएट कांउसिल के तत्कालीन अध्यक्ष एवं अपर सचिव के द्वारा किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2001–02 में 5 करोड़ रुपया एवं 2003–04 में 4 करोड़ रुपया बिना बजट पास कराये इंटरमीडिएट कांउसिल के अध्यक्ष के द्वारा खर्च किया गया जो घोर वित्तीय अनियमितता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा गठित कमिटी द्वारा उपरोक्त घोटाले को सही करार देते हुए सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषियों पर कौन–सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

42. श्री शैलेश कुमार––क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल के आयुक्त के सचिव ने अपने भवदीय पत्रांक 3596, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 द्वारा क्षेत्रीय उप–निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना किशनगंज द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में दी गई शिक्षकों को प्रोन्नति में बरती गई घोर अनियमितता की जाँच हेतु आदेश दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय उप–निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल ने अपने पत्रांक 192, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को आयुक्त के सचिव को जिला शिक्षा स्थापना समिति के बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना किशनगंज द्वारा आरक्षण नियमों का उल्लंघन, नियम विरुद्ध पदस्थापन, वरीय शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित करने संबंधित जाँच प्रतिवेदन दी गई थी, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 19 मार्च, 2013 (ई०)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

नोट–'क' दिनांक 12 मार्च, 2013 से सदन द्वारा स्थगित।

बि०स०मु० (एल०ए०), 269–डी०टी०पी०–450